प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 10.10.2019

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–09 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

दिनांक 09.10.2019 को थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उसके पास से कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. श्रीमती उर्मिला पत्नी ओम प्रकाश नि0 परसोहनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–255/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

चोरी की योजना बनाते समय 03 शतिर चोर गिरफ्तार, अवैध तमंचा भी बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. बब्लू तिवारी पुत्र दीपक कुमार नि0 सिंहपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. लोटन सोनकर पुत्र गंगाराम नि0 लालापुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. तोहित पुत्र सत्यपाल नि0 परखेडा बहादुरपुर अशोक नगर मध्यप्रदेश। हालपता–सालपुर पेट्रोलपम्प थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–356/19, धारा 401 भादवि, 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–202/19, धारा 379 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. चोरी करने के उपकरण।
03. 01 अदद चोरी की साईकिल।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.10.2019 को उ0नि0 तारकेश्वर सिंह व उ0नि0 देवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में रवाना थे। मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की योजना बनाते समय 03 नफर अभियुक्तों को बहद ग्राम करमडीह की खाली पड़ी जमीन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी करने के उपकरण, अभियुक्त बब्लू के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व मु0अ0सं0–202/19, धारा 379 से सम्बन्धित 01 अदद साईकिल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा कि आज बग्गी रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चोरी करने की योजना बना रहे थे। उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना धानेपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 तारकेश्वर सिंह।
02. उ0नि0 देवेन्द्र प्रताप तिवारी।
03. हेड का0 मुरलीधर मिश्रा।
04. का0 चन्दन यादव।